**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**
**केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड**
**अधिसूचना सं 19/2022 - केंद्रीय कर**

**नई दिल्ली, तारीख 28 सितंबर,2022**

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21 में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड अतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

> "(ज) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और लगातार छह महीने की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है;
>
> (झ) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और दो कर अवधि के निरंतर समय के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।";

3. उक्त नियमों के नियम 36 में,-

> (क) उप-नियम (2) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, " और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-2 में दी गई हैं " का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) में, खंड (ख) में, "ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स" शब्दों के बाद, "जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे;

4. उक्त नियमों के नियम 37 में,-

(क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, उन आपूर्तियों के अलावा जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, लेकिन उसके आपूर्तिकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस पर संदेय कर सहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाली कर अवधि में, ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान धारा 50 के तहत उस पर देय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3B में करेगा :

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मुद्दे प्रदायो के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जायेगा।;

(2) जहां उक्त पंजीकृत व्यक्ति बाद में इस तरह की आपूर्ति के मूल्य की राशि का भुगतान उसके आपूर्तिकर्ता को देय कर के साथ करता है, वह उप-नियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनः लाभ उठाने का हकदार होगा। ";

(ख) उप-नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा;

5. उक्त नियमों के नियम 38 में,-

(क) खंड (क) में, उप-खंड (ii) में, शब्द, अक्षरों और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर -2 में" का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) खंड (ग) में, शब्दों, अक्षरों और अंक के लिए, "और प्ररूप जीएसटीआर -2 में प्रस्तुत किया जाएगा", शब्दों, अक्षरों और अंक, "और इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष राशि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उत्क्रमित कर दी जाएगी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (घ) का लोप कर दिया जाएगा;

6. उक्त नियमों के नियम 42 में, उप-नियम (1) में, खंड (छ) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, " प्ररूप जीएसटीआर -2 में बीजक स्तर पर और" का लोप किया जाएगा;

7. उक्त नियमों के नियम 43 में, उप-नियम (1) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर-2 और" दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा;

8. उक्त नियमों के नियम 60 में, उप-नियम (7) में, "स्वत: तैयार" शब्दों के स्थान पर, "स्वतः जनित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

9. उक्त नियमों के नियम 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 79 का लोप किया जाएगा;

10. उक्त नियमों के नियम 83 में, उप-नियम (8) में, खंड (क) में, "और आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

11. उक्त नियमों के नियम 85 में, उप-नियम (2) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

12. उक्त नियमों के नियम 89 के उपनियम (1) में,-

(क) शब्दों " कोई व्यक्ति, जो " के बाद, शब्द, कोष्ठक और अंक " धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में किसी भी शेष राशि का, या " को अतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी" शब्दों के स्थान पर, शब्दों "परंतु" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) तीसरे परंतुक में, "परन्तु यह भी" शब्दों के स्थान पर, शब्दों "परन्तु यह और भी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

13. उक्त नियमों के नियम 96 में, उपनियम (3) में शब्दों, अक्षरों और अंकों " प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख, जैसा भी मामला हो" के स्थान पर, अक्षरों और अंक, " प्ररूप जीएसटीआर-3ख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

14. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1क, प्ररूप जीएसटीआर-2 और प्ररूप जीएसटीआर-3 का लोप किया जाएगा;

15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में, भाग-क में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, "गतिविधियों की सूची" शीर्षक के तहत, शब्दों "और आवक" का लोप किया जाएगा।

[फा.स.सीबीआईसी-20013/1/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सांख्य सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 5 जुलाई, 2022 द्वारा सांख्य सा.का.नि. 517(अ), तारीख 5 जुलाई, 2022 द्वारा किये गए थे।